"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2011—आषाढ़ 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 4635/डी. 142/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 02 सन् 2011) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधानमण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2005 को संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 3 से 4 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 3 का संशोधन.

3. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्—

"(1) **वार्षिक लक्ष्य :**—राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी—

2011-12 - शून्य
2012-13 - शून्य
2013-14 - शून्य
2014-15 - शून्य

(2) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रहेगी—

2010-11 - 3 प्रतिशत
2011-12 - 3 प्रतिशत
2012-13 - 3 प्रतिशत
2013-14 - 3 प्रतिशत
2014-15 - 3 प्रतिशत

(4) (एक) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण दायित्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

2010-11	-	22.00 प्रतिशत
2011-12	-	22.50 प्रतिशत
2012-13	-	23.00 प्रतिशत
2013-14	-	23.50 प्रतिशत
2014-15	-	23.90 प्रतिशत

(दो) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी:

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा आपवादिक आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य शासन के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकेगा."

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा 6 का संशोधन.**

"6 (1) (क) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में निर्दिष्ट है) प्रत्येक तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.

(ख) धारा 3 में निहित राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिसूचित राज्यस्तरीय समिति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी."

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 4635/डी. 142/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 02 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2011)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2011

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Promulgated by the Governor in the Sixty-second year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Adhiniyam No. 16 of 2005 to be amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Fiscal Responsibilities and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 4.

Amendment of Section 3.

3. For sub-section (1), (2) and (4) of Section 3 of the Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(1) **Annual targets :—** The State Government shall maintain revenue deficit every year, beginning from financial year 2011-12, as below —

2011-12 - Zero
2012-13 - Zero
2013-14 - Zero
2014-15 - Zero

(2) The State Government shall maintain actual fiscal deficit as percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11 - 3%
2011-12 - 3%
2012-13 - 3%
2013-14 - 3%
2014-15 - 3%

(4) (i) The State Government shall maintain total outstanding debts percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11 - 22.00%
2011-12 - 22.50%
2012-13 - 23.00%
2013-14 - 23.50%
2014-15 - 23.90%

(ii) The State Government shall not assume additional total liabilities in excess of 5 percent of GDP for any financial year beginning 2011-12:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this Section on the ground or grounds of

unforeseen demands of the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify."

Amendment of Section 6.

4. For sub-section (1) of Section 6 of the Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"6 (1) (a) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews.

(b) Fiscal targets mentioned in the Section 3 shall be reviewed atleast twice in a year by the state level committee headed by Chief Secretary of the State as notified under the provisions of the Act."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.